

डिक्री मुकदमा इब्तादाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारी:- सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

सुनीता पत्नि सुनील कुमार जाति मीना निवासी नांगल शेरपुर तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी
(वादीया)

बनाम

1. मंजू देवी पत्नि ओजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी भण्डारी अन्दरूणी तहसील टोडाभीम जिला टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।
2. तहसीलदार टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।
3. नायब तहसीलदार टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।
4. उप पंजीयक बालघाट जिला गंगापुर सिटी।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0:- 199/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबई श्री कृष्ण कान्त मित्तल एडवोकेट व श्री संजय गहलोत एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि ग्राम भण्डारी अन्दरूणी की आराजीयात मे डिक्री दी जाती है कि

क्र0स0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकवा
1	सुनीता पत्नि सुनील कुमार जाति मीना निवासी नांगलशेरपुर	1440/1	0.18 है0
2	मंजू देवी पत्नि ओजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी भण्डारी अन्दरूणी	1440/2	0.25 है0

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक-दूसरे के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 14.06.2024 को जारी की गई।

(सुनीता मीना)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			वावत इजराय हुक्मनामा		
वावत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

